प्रेस नोट-थाना जलालाबाद

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक-09.05.2026

थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के प्रयास की घटना से सम्बन्धित अभियोग में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक,शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जलालाबाद के नेतृत्व में थाना जलालाबाद पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.05.2026 को वादी द्वारा थाना जलालाबाद पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 180/2026 धारा 109(1) बीएनएस बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नियत से गोली मार देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अवनीश सिंह पुत्र नरवीर नि0 ग्राम सैदपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश में आया। दिनाकं 08.05.2026 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके थानें पर पंजीकृत मुकदमें में वांछित अभियुक्त कही जाने की फिराक में है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम को चैकिंग के दौरान ग्राम पलहरई से गंगा एक्सप्रेस- वे की तरफ आने वाले सम्पर्क मार्ग पर ग्राम पलहरई की तरफ से एक वाहन की रोशनी आती दिखाई दी। जैसे ही मोटर साईकिल धीमी हुई तब पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन को रुकने का इशारा किया तो अचानक पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति ने अपनी मोटर साईकिल मोडकर वापस भागने का प्रयास किया परन्तु मोटर साईकिल स्लिप हो जाने के कारण गिर गई। उक्त व्यक्ति ने भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया जो का0 शुभम सैनी के दाहिनी हाथ की कोहनी को छूता हुआ निकल गया। तभी पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग में उक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम अवनीश सिंह पुत्र नरवीर सिंह उम्र करीब 31 वर्ष नि0 ग्राम सैदापुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर बताया। जिसे रात्रि समय 00.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसकी जामा तलाशी से पहनी पेन्ट की बायी जेब से 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन OPPO, 01 अदद की-पैड फोन LAVA, दाहिनी जेब से 450/रुपये नगद तथा 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 अवैध तमंचा 32 बोर व नाल में फंसा 01 अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जलालाबाद पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। साथ ही थाना जलालाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2026 धारा 109 (1) बीएनएस से संबंधित माल बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई है। आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- अवनीश पुत्र नरवीर उम्र करीब 31 वर्ष नि0 ग्राम सैदपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-

- 09.05.2026 को समय 00.30 बजे, ग्राम पलहरई से ग्राम अफतियापुर को जाने वाले रास्ते से।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 183/26 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 180/2026 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।
2. मु0अ0सं0183/26 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर।

माल बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 32 बोर मय नाल फंसा 01 खोखा कारतूस
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
3. 01 एन्ड्रायड मोबाइल फोन OPPO
4. 01 अदद की-पैड फोन LAVA
5. 01 अदद मोटर साईकिल बुलेट क्लासिक 350 EFI
6. 450/रुपये नगद

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्त अवनीश उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मेरी पत्नी का अमित सिंह से अवैध सम्बन्ध थे इसलिए मैनें अमित को ठिकाने लगाने के लिए दिनांक 06.05.2026 की शाम को ग्राम टापर के पास उसकों जान से मारने की नियत से उसके सिर में गोली मारी थी और उसे मरा समझकर मैं अपनी मोटर साईकिल से भाग गया था। आज मै गंगा एक्सप्रेस-वे से होकर फरीदाबाद के लिए निकल रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड लिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
व0उ0नि0 श्री सकतावत सिंह
उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह
उ0नि0 श्री गौरव कुमार
उ0नि0 श्री पवन कुमार
हे0का0 कुलदीप
का0 अतुल शाक्य
का0 प्रवीण कुमार
का0 संजय भाटी
का0 दीपकपाल
का0 अंकित
का0 शुभम सैनी